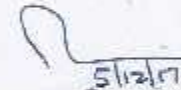


परियोजना का नाम- जनपद बदायूँ में मेरठ बदायूँ मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-18) किमी0 163 से 208(400) में फोर लेन में चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित जनपद बदायूँ में मेरठ बदायूँ मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-18) के किमी0 163 से 208(400) तक वर्तमान मार्ग के दोनों ओर फोर लेन में चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के कार्य हेतु कुल 64.60 हे0 वन भूमि का वनेत्तर प्रयोग एवं कुल बाधक 11256 वृक्षों एवं इस क्षेत्र में स्थापित वर्ष 2014-15 में 28 हे0 क्षेत्र में विशिष्ट वृक्षारोपण के अन्तर्गत रोपित किये गये 14875 पौधों का पातन निहित है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अनुसार पातित वृक्षों की दोगुनी संरक्षित संरक्षित 129.20 हे0 वन भूमि हेतु मालपुर वनखण्ड तारानगला बीट खादर भूमि के 14 स्थलों का चयन किया गया है। प्रमाणित किया जाता है कि उक्तानुसार चयनित स्थल वृक्षारोपण के दृष्टिकोण से उपयुक्त है, जिस पर वृक्षारोपण प्रस्तावित है।


(रत्नेश श्रीवास्तव)
 प्रभागीय निदेशक
 सामाजिक वन्य जीव प्रभालय बदायूँ